प्राक्कथन

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) की सम्भावना 8,89,508 मेगावॉट है। भारत सरकार ऊर्जा सुरक्षा की खोज में, और पर्यावरण पर प्रभाव को निम्नतम करने में अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से आरई क्षेत्र के विकास का प्राथमिकीकरण करती रही है। इस संदर्भ में उस सीमा जिस तक देश में ऊर्जा मिश्रण को नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान बढ़ा है और क्या दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की पहुँच बढ़ाने में सफल हुई, के प्राथमिक निर्धारण करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा में पता चला कि दो सबसे बड़े घटकों अर्थात सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा में सम्भावित दोहन क्रमशः केवल 0.35 तथा 21 प्रतिशत था और राज्यों में काफी विविध रहा। लेखापरीक्षा में देखा कि जबकि देश में आरई को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अतिभरण नीति और प्रोत्साहन देश में एक समान रहे वहीं क्षेत्र की विविध विकास राज्य विशेष कारकों जैसे राज्य की आरई विकास नीतियां, राज्य टैरिफ़ व्यवस्था, राज्य की पर्यावरण कार्यान्वयन की सहायकत्व का परिणाम था। अपर्याप्त निकासी और परेषण और बुनियादि ढ़ाँचे अड़चन थीं। पवन ऊर्जा के कमजोर और चर प्रकृति की वजह से ग्रिड स्थिरता बनाए रखने में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। भारत में आरई संसाधनों के विकास के लिए वचनबद्धता प्रदर्शित करने और मांग प्रोत्साहन स्थापित करने के लिए नीति दस्तावेज के रूप में नवीरकणीय खरीद बाध्यता व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू नहीं की गई थी।

हम आशा करते है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत किए जाने के लिए तैयार यह प्रतिवेदन, समस्याओं, जो भारत में आरई क्षेत्र के विकास को रोक रहीं हैं, का समाधान करने में योजनाकारों तथा प्रशासकों की सहायता करेगा।